न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 101/2015

1 सुण्डाराम पुत्र स्व. बख्तावर जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 रामधन पुत्र स्व. बख्तावर जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 माला पिता छाजू जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। (अपील के दौराने मृत्यु)
2/1 कमली देवी पत्नी मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2/2 शैतान सिंह पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2/3 जयमल पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2/4 प्रभू देवी पुत्री मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2/5 सुमित्रा देवी पुत्री मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2/6 मनोहरी देवी पुत्री मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2/7 कृष्णा देवी पुत्री मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
3 कला पुत्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
4 सुशीला पुत्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5 हरू देवी पत्नी शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। अपील के दौराने मृत्यु

5/1 रामजीलाल शर्मा पुत्र शंकरलाल मात हरू देवी जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/2 विनोद कुमार शर्मा पुत्र शंकरलाल माता हरू देवी जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/3 कमल शर्मा पुत्र शंकरलाल माता हरू देवी जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/4 सरोज देवी पत्नी रतनलाल शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/5 अरूण शर्मा पुत्र रतनलाल शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/6 गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र रतनलाल शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/7 सोनू शर्मा पुत्री रतनलाल शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/8 संतोष पुत्री शंकरलाल शर्मा माता हरू देवी जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/9 सुशीला पुत्री शंकरलाल शर्मा माता हरू देवी जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/10 कमला पुत्री शंकरलाल शर्मा माता हरू देवी जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/11 मंजू पुत्री शंकरलाल शर्मा माता हरू देवी जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

5/12 किरण पुत्री शंकरलाल शर्मा माता हरू देवी जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

6 रामजीलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

7 रतनलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

8 विनोद कुमार पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 कमल शर्मा पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
10 लाली पुत्री प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
11 गाजु पुत्री प्रभुदयाल जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
12 महेश कुमार पिता प्रभुदयाल नवीरा बिजराज जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
13 नन्दकिशोर पिता प्रभुदयाल नवीरा बिजराज जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
14 अशोक कुमार पिता प्रभुदयाल नवीरा बिजराज जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
15 महेन्द्र कुमार पिता बिजराज जाति ब्राह्मण निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
16 फतेहसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
17 रूड़मल पिता हनुमानराम जाति माली निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
18 इन्द्राज पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
19 बद्रीप्रसाद पिता बनवारीलाल जाति महाजन निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। अपील के दौराने मृत्यु
19/1 शारदा देवी पत्नी बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
19/2 राजेश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
19/3 दिलीप पुत्र बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
19/4 पवन पुत्र बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
19/5 अनुपमा पुत्री बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 केसरदेवी पिता बनवारीलाल जाति महाजन निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
21 संतोष कुमार पिता बनवारीलाल जाति महाजन निवासी कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम बख्तावर वगै. मु.नं. 185/2013 मु. अ. धारा 177 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दकिशोर सोनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 10/3/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 185/2013 में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 1654, 1655 वाके ग्राम कांकरिया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने मृतक व्यक्ति बख्तावर के विरूद्ध दावा पेश किया है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा वाद पत्र में बनाये गये प्रतिवादी नं. 1 बख्तावर का दिनांक 02.02.2011 को देहान्त हो चूका था। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा दिनांक 09.09.2013 को पेश हुआ जिस दिन दावा पेश हुआ उस दिन प्रतिवादी सं. 1 बख्तावर का देहान्त हो चुका था इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा स्वीकृत रूप से मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया गया है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नं. 2 से 21 को भी प्रोपर जवाबदेही व साक्ष्य सबूत का अवसर नहीं दिया। विचारण न्यायालय की पत्रावली व आदेशिकाओं को देखे तो काफी रेस्पोडेन्टस की तो तामील ही नही हुई थी आदेशिका से जाहिर है कि कुछ रेस्पोडेन्ट के लिए अन्डर टेकिंग दी गई थी को बाद में विड्रा कर ली गयी एक बार अन्डर टेंकिग विड्रा करली जाती है तो कानूनन पुनः तामील सम्मन जारी होना जरूरी था। जमीन हाल खसरा नम्बर 1654 रकबा 2.19 है. जमीन मौके पर काश्त के काम में ली जा रही है। उक्त जमीन में बजरी खनन नहीं होता न कभी बजरी खनन किया गया। पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत दावा पेश करने व उक्त गलत दावा की सही तरह से जांच नही कर निर्णय व डिक्री पारित करने में विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। कानून से रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिये बिना उसके खातेदारी अधिकार वापिस नहीं लिये जा सकते। जमीन हाल खसरा नम्बर 1654 रकबा 2.19 है. सरहद राजस्व ग्राम कांकरिया में स्थित है। अपीलान्ट का पिता बख्तावर उक्त जमीन का दर्ज हक हिस्सा के मुताबिक सहखातेदार था रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा अपीलान्ट के मृतक पिता के विरूद्ध पेश किया है तथा मृतक की तामील गलत रूप से मानी है। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा में अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपीलान्ट के मृतक पिता के गलत रूप से पक्षकार बनाकर दावा निर्णित व डिक्री करवाया है। जिससे अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार खेतड़ी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1654, 1655 ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 1654, 1655 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। मौके पर खनन किया हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार ग्राम सिहोड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 1654, 1655 पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व लगभग 20–25 फीट के खड्डे बने हुये है। उक्त खसरा नम्बर 1654, 1655 को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है। खातेदारान द्वारा बिना भू–रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है। बंजड़–2 दर्ज भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा दिनांक 19.08.2013 को प्रस्तुत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट में मौके पर भूमि समतल होना तथा बाजरा काश्त होने का अंकन आया है। मौके की स्थिति बाद में परिवर्तित हुई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील मियाद, गुणावगुण एवं धारा 96 पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में निम्नलिखित विधिक त्रुटियां पाई गई है।

1 प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया विधि सम्मत तरीके से संपादित नहीं की गई है।

2 प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद बिन्दु कायम नहीं किये गये है।

3 विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण के लिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये है।

4 पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय निम्न विधिक बिन्दुओं की पालना नहीं की गई है।

(अ) स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है।
(ब) पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है। इसके अभाव में खनन की गई भूमि के रकबे का आंकलन नहीं हो सकता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(स) सहखातेदारी की भूमि में नजरी नक्शे के अभाव में किस पक्षकार द्वारा कितनी भूमि, कितने रकबे में खनन किया गया है। यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
(द) खनन की गई भूमि के फोटोग्राफ/गुगल मेप भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

5 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत कृषि भूमि में खनन किये गये तत्व(खनिज) का पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, जो कि माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाना होता है, ना ही पक्षकारों को शास्ति का नोटिस दिया गया।

6 पत्रावली पर खनन किये गये खनिज की जब्ती की फर्द तैयार नहीं की गई है।

7 खनन के संदर्भ में खान विभाग को सूचना दिये जाने का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

8 अवैध खनन के संदर्भ में माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से पंचनामा तैयार करवाकर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। निर्णय में विवेचित अन्य बिन्दुओं की भी पालना कर संपूर्ण तथ्यों को पुनः निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विधिक प्रकिया अनुसार विचारण न्यायालय को किसी भी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने से पूर्व तहसीलदार भूमिधारक से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक बिन्दुओं की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित कर जवाब प्राप्त कर, निर्णय में विवेचित बिन्दुओं की आवश्यक रूप से पालना कर, अपीलान्ट को साक्ष्य

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन ... अपील अधिकारी
सीकर (... झुन्झुनूं)

सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय आगामी दो माह में आवश्यक रूप से पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.03.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर